न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 13 / 2026(GCMS 2026/24)
(RTI No. 212837369131703)

श्री राजकुमार पुत्र हरीसिंह वीपीओ बरवाली, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ पिन–335504 (मोबाईल नम्बर – 90011–82996)

नाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजकुमार उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. उपखण्ड व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में संचालित राजकीय व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों की संख्या, नाम, पता, ईमेल, सम्पर्क सूत्र व उनके शी बॉक्स पर रजिस्ट्रेशन की प्रति, गठित आन्तरिक शिकायत समिति व उक्त का शी बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की प्रति, पोश अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों की प्रमाणित प्रति जो भी शी बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की गई है।
2. आपके क्षेत्राधिकार में संचालित फैक्ट्री एण्ड बॉयलर्स एक्ट के रजि. कारखाने, ईंट भट्टे व अन्य औद्योगिक कार्यस्थलों की संख्या, नाम, पता, ईमेल, सम्पर्क सूत्र व उक्त क्षेत्र के समस्त कार्यस्थलों का पोश अधिनियम 2013 [illegible] कार्यालय रजिस्ट्रेशन व गठित आन्तरिक शिकायत समिति के अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फर्द अहकाम टिप्पणी

RTI अपील 13/2026– राजकुमार बनाम एसडीओ रायसिंहनगर
(GCMS No. 2025/24)
(RTI No. : 2121837369131703)
आदेश दिनांक 22.04.2026

3. आपके क्षेत्राधिकार में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के जरिये क्षेत्र में संचालित व कार्यरत समस्त श्रेणी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, ...
4. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार की नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, उपतहसील व तहसील स्तर पर कार्यरत व संचालित होटलों, धर्मशालाओं, रेस्टोरेंट, ...
5. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत रिको आधारित आद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या, ...
6. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत राजकीय सामुदायिक अस्पतालों, ...
7. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार मे पंचायत समितियों की संख्या, नरेगा इकाईयों की संख्या, नाम, पता व उनके कार्यालयों के ......
8. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में लेबर डिपार्टमैंट के जरिये असंगठित क्षेत्र/ठेकेदारों द्वारा अपनी इकाईयों ......
9. बिन्दु संख्या 7 की सूचना राजकीय नोडल सरकारी कॉलेज, College education or Higher education के लोक सूचना प्राधिकारी को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में हस्तान्रित कर प्रकटन की जाने का प्रावधान हैं।
10. बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये पोर्टल labour department, boiler and factory department and RIICO department को, बिन्दु संख्या 3 की सूचना district Education Officer व Chief Education Officer, बिन्दु संख्या 04 की सूचना EO Municipality Office व इसी तरह अन्य सूचनायें सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर निहित SPIO को 6(3) में हस्तान्तरित कर प्रकटन करने की प्रक्रिया
11. 6(1) में प्रेषित आवेदन पर अधिनियम 2005 की धारा 11 पर पक्ष के तहत Third Party Information में Recruitment Letter अभ्यावेदन पत्र जारी कर सूचना प्रकटन की प्रक्रिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

RTI अपील 13/2026– राजकुमार बनाम एसडीओ रायसिंहनगर
(GCMS No. 2025/24)
(RTI No. : 2121837369131703)
आदेश दिनांक 22.04.2026

	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक RTI/2026/1049 दिनांक 20.06.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है: उपरोक्त विषयान्तर्गत **प्रासंगिक पत्र** के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI Application No. 212518644595610 के द्वारा विस्तृत सूचना चाही गई थी, जो तैयार शुद्धा इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) से सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री इनमें ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी के कार्यालय पत्र क्रमांक RTI/2026/844 दिनांक 31.12.2025 द्वारा उक्तानुसार सूचित करते हुए आवेदन में वांछित सूचनाओं के क्रम में इस कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय में रिकॉर्ड का अवलोकन करने तथा वांछित सूचना के प्रकरण संख्या/अनवान्/पत्रांक/आदेशांक मय दिनांक आदि विवरण उपलब्ध करवाने बाबत भी सूचित किया गया था, परन्तु आवेदक रिकॉर्ड अवलोकन बाबत इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी आवेदक कभी भी कार्यालय समय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर नियमानुसार निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात नियमानुसार देय सूचना प्राप्त कर सकता है। आवेदक के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत RTI Application No. 2125186[illegible] दिनांक [illegible]2025 के क्रम में इस कार्यालय स्तर से [illegible] है। अतः प्रतिवेदन मय संलग्नक [illegible] निवेदन है [illegible] अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी **द्वारा चाही गई सूचना** किसी एक विभाग से सम्बन्धित नही है और एक से अधिक लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। **ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया जाना माना जाता है। आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग–अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करें।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी **विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए आप द्वारा प्रस्तुत **अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:37 IST
Reason: SelfAttested